प्रेस विज्ञप्ति

09.10.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने शराब घोटाले के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर, छत्तीसगढ़ के समक्ष 19.06.2024, 30.08.2024 और 05.10.2024 को तीन अभियोजन शिकायतें (पीसी) दायर की हैं, जिसमें कुल 9 व्यक्तियों/संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है, जिनके नाम अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, मेसर्स पेट्रोसन बायो रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ढिल्लों सिटी मॉल प्राइवेट लिमिटेड, अमित सिंह, मेसर्स आदिप एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी हैं। माननीय विशेष न्यायालय ने 05.10.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने एसीबी/ईओडब्ल्यू छत्तीसगढ़ द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी वर्ष 2019 से 2022 के दौरान हुए शराब घोटाले की जांच कर रही है जिसमें अपराध की आय (पीओसी) भ्रष्टाचार के माध्यम से कई तरीकों से उत्पन्न की गई थी:-

• भाग-ए कमीशन (इन तीन डिस्टिलरी से आरोपियों द्वारा देशी शराब बेचने के लिए अवैध रूप से बरामद),

• भाग-बी कच्ची शराब की बिक्री (छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित तीन डिस्टिलरी के माध्यम से आरोपियों द्वारा अवैध रूप से देशी शराब का उत्पादन किया गया था और इस शराब को सरकारी शराब की दुकानों पर सीधे ले जाया और बेचा गया था),

• पार्ट-सी कमीशन (आपूर्ति क्षेत्रों के निर्धारण के लिए) और एफएल-10ए लाइसेंस धारकों से कमीशन (लाइसेंस धारकों को 'संग्राहक' या मध्यस्थ के रूप में कार्य करना था और विदेशी शराब [एफएल] खरीदना था और फिर छत्तीसगढ़ सरकार के गोदामों को बेचना था और उक्त विदेशी शराब पर लगभग 10% कमीशन प्राप्त करना था)।

ईडी की जांच से पता चला है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के कारण राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ, जिससे शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों को लाभ हुआ, जिससे 2100 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध की आय उत्पन्न हुई। ईडी ने अनिल टुटेजा पूर्व आईएएस अधिकारी, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था। ईडी ने पहले ही चल रही जांच में 205.49 करोड़ रुपये (लगभग) की 18 चल और 161 अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। उक्त कुर्की की पुष्टि पीएमएलए, 2002 के तहत 07.10.2024 को विद्वान न्याय निर्णयन प्राधिकारी द्वारा भी की गई है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।